राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर
W-6, रेजिडेन्सी रोड़ (गौरव पथ), जोधपुर (राज.)
फोन. 0291-2432290/5161124 फैक्स न.: 2632329, Visit us: www.livelihoods.rajasthan.gov.in/dtetrg
E-mail ID: dte.cts.raj@gmail.com

क्रमांकः– प.सं.7(11)/प्र–1/प्रवेश/1001/2017–18/11114 दिनांक : 17/7/17

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रक्रिया अन्तर्गत आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग एवं Upward Movement की सूचना

राजकीय आई.टी.आई. में सत्र अगस्त 2017 में प्रवेश हेतु केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अन्तर्गत प्रथम आवंटन सूची दिनांक 17–07–2017 को जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित हो चुकी है, उन्हे ई मित्र कियोस्क पर प्रवेश/प्रशिक्षण का आंशिक शुल्क रुपये 3450/– जमा करवाकर चालान एवं समस्त मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित आई.टी.आई. में दिनांक **17–07–2017 से 20–07–2017** तक रिपोर्ट करना आवश्यक है। डीजीटी/राज्य सरकार द्वारा आई.टी.आई. में प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यताऐं/अर्हताऐं अभ्यर्थी द्वारा धारित नहीं होने के सत्यापन उपरान्त उसका प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगें।

Upward Movement के लिए आवेदन (अंतिम तिथि : 22.07.2017)

अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये Option Form (विकल्प पत्र) के आधार पर आवंटित संस्थान में रिपोर्ट नहीं करने के कारण रिक्त (Drop Out) रहने वाले स्थानों पर प्रवेश हेतु Upward Movement की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। Upward Movement हेतु ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर सहमति भरने की अंतिम तिथि **22.07.2017** है। इस हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार है:–

(अ) पात्रता :– Upward Movement की इस प्रक्रिया में केवल निम्न अभ्यर्थी ही पात्र होगे–

1. अभ्यर्थी जिन्हे विकल्प पत्र के आधार पर मेरिट के अनुसार संस्थान मे सीट आंवटित हो चुकी है तथा उन्होने आंवटित संस्थान में रिपोर्ट कर दिया है तथा Upward Movement मे भाग लेना चाहते हैं। इस हेतु ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर अभ्यर्थी ने Upward Movement हेतु अपनी सहमति भरी है। डाक/मेल द्वारा भेजे गये प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगें।
2. अभ्यर्थी जिन्हे पूर्व में भरे गये विकल्प पत्र के अनुसार कोई आंवटन नही मिल पाया (Choice Exhausted) है।

   नोट:– जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विकल्प पत्र नही भरा है अथवा आवंटित संस्थान में रिपोर्ट नहीं किया है वे इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पात्र नही होगे। जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 17.07.2017 को जारी प्रथम आंवटन सूची के अनुसार रिपोर्ट कर दिया है तथा आवंटित संस्थान एवं योजना/व्यवसाय को यथावत रखना चाहते है, उन्हे ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर सहमति भरने की आवश्यकता नही है।

(ब) प्रक्रिया :–

1. उपरोक्तानुसार पात्र इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध टेब पर दिनांक 22.07.2017 तक अपनी सहमति भरनी होगी।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा सहमति दी जाएगी उनका पूर्व में दिये गये विकल्प पत्र एवं मेरिट के अनुसार शिफ्टिंग पश्चात किसी भी उच्च विकल्प पर आवंटन हो सकता है। इस प्रकार पुनः आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियो को नई आंवटित संस्थान/व्यवसाय में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा तथा पूर्व आंवटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। Upward Movement प्रक्रिया में नई संस्थान/योजना/व्यवसाय आवंटित नहीं होने पर ही पूर्व आवंटन यथावत रहेगा।
3. अभ्यर्थियो को पूर्व में भरे गये विकल्प पत्र के आधार पर ही उच्च विकल्प पर मेरिट के अनुसार शिफ्टिंग कर, नई संस्थान/योजना/व्यवसाय आंवटित कर वेबसाइट पर सूचित किया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नही भेजी जायेगी।
4. अभ्यर्थी को नई आंवटित संस्थान/योजना/व्यवसाय में सीट आवंटन होने पर पर शेष शुल्क नियमानुसार आंवटित संस्थान में जमा करवानी होगी।

निदेशक प्रशिक्षण

क्रमांकः– प.सं.7(11)/प्र–1/प्रवेश/1001/2017–18/स्पम दिनांक : 17.07.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन उपसचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राज., जोधपुर।
4. संयुक्त राज्य शिक्षुता सलाहकार एवं संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, बनीपार्क, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, सूचना, प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. उप निदेशक, प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
7. आचार्य/अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित कर लेख है कि सूचना नोटिस बोर्ड पर आवश्यक रूप से चस्पा करें।
8. उप निदेशक, परीक्षा, मुख्यालय, जोधपुर।

उप निदेशक, प्रशिक्षण

राजकीय औधियोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय केन्द्रीकत ऑनलाईन प्रक्रिया अन्तर्गत आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग एवं अपवर्ड मूवमेंट की सूचना

1) राजकीय औधियोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया के तहत वरीयता सूची तथा अभ्यार्थियों द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर 8वी उतीर्ण तथा 10वी उतीर्ण व्यवसायों हेतु अलग-अलग आवंटन सूची जारी होगी|
2) जिन अभ्यार्थियों ने केवल 8वी उतीर्ण के व्यवसाय भरे है उन्हें 8वी उतीर्ण वाली मेरिट सूची के अनुसार तथा जिन्होंने केवल 10वी उतीर्ण के व्यवसाय भरे है उन्हें 10वी उतीर्ण वाली मेरिट सूची के अनुसार आवंटित संस्थान में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट करना होगा| जिन अभ्यार्थियों ने 8वी, 10वी दोनों के आप्शन फॉर्म भरे है उनको किसी एक आवंटन सूची का चयन कर रिपोर्ट करना होगा| रिपोर्टिंग के लिए अभ्यर्थी को आंशिक फीस के तहत Rs. 3450/- ईमित्र पर जमा करा कर रसीद के साथ सभी मूल दस्तावेज तथा सभी मूल दस्तावेज की छाया प्रति का एक सेट आवश्यक रूप से आवंटित संस्थान में ले जाने होंगे|
3) निर्धारित तिथि तक आवंटित संस्थान में रिपोर्ट नहीं करने वाले (non-reporting) अभ्यार्थियों का नाम प्रवेश प्रक्रिया से हटा दिया जायेगा|
4) डीजीटी/राज्य सरकार द्वारा आई.टी.आई. में प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता/अहर्ता अभ्यर्थी द्वारा धारित नहीं होने के सत्यापन उपरान्त उसका प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।
5) संस्थान में non-reporting के कारण रिक्त रहे स्थानों हेतु अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी|
6) अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया के लिए निम्न आभियार्थी ही योग्य होंगे:-
    a. जिन्होंने आवंटित संस्थान में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट कर दिया है|
    b. जिन्हें प्रथम आवंटन में कोई संस्थान आवंटित नहीं हुआ है|
7) अपवर्ड मूवमेंट के लिए प्रथम आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी को अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया में सम्मलित होने हेतु सहमति का विकल्प निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन देना होगा| जिन अभ्यार्थियों को प्रथम आवंटन में कोई संस्थान आवंटित नहीं हुआ है उन्हें अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया में स्वत: ही सम्मिलित कर लिया जायेगा|
8) जिन अभ्यर्थीयों द्वारा सहमति दी जाएगी उनका पूर्व में दिये गये विकल्प पत्र एवं मेरिट के अनुसार शिफटिंग पश्चात किसी भी उच्च विकल्प पर आवंटन हो सकता है। इस प्रकार पुन आवंटन के पश्चात अभ्यर्थीयों को नई आवंटित संस्थान व्यवसाय में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा तथा पूर्व आवंटन स्वत निरस्त हो जाएगा। Upward Movement प्रक्रिया में नई संस्थान/ योजना/ व्यवसाय आवंटित नहीं होने पर ही पूर्व आवंटन यथावत रहेगा।
9) अभ्यर्थीयों को नई आवंटित संस्थान/ योजना/ व्यवसाय में सीट आवंटन होने पर शेष शुल्क नियमानुसार आवंटित संस्थान में जमा करवानी होगी।
10) एसएफएस सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थीयों को प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 02 भाग में समेस्टरवार जमा कराना होगा।